

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्र. :- 376 / 2013)
(संस्थित दिनांक :- 27 / 06 / 13)

म.प्र.राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. प्रवीण शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा उम्र 28 वर्ष,
निवासी :- ग्राम आलौरी, थाना-उटीला, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 30 / 12 / 2016 को घोषित)

01. आरोपी प्रवीण शर्मा पर धारा 25(1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 28 / 02 / 2013 को शाम लगभग 06:10 बजे सौंधा रोड़ बम्बा पुलिया के पास सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से तीन कट्टा 315 बोर एवं चार जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे।

02. प्रकरण में आरोपी द्वारा आयुध परीक्षक सुरेश दुबे की आयुध परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी.08 को धारा 294 द.प्र.सं. के प्रावधान के अन्तर्गत सत्य होना स्वीकार किया जाना निर्विवादित है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकरण में जब्तशुदा तीनों कट्टे संचालनीय अवस्था में एवं चारों कारतूस फायर किये जाने योग्य थे।

03. अभियोजन कथा संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक : 28 / 02 / 2013 को थाना गोहद चौराहा के प्रभारी थाना एसआई सुभाष पाण्डेय को जरिये टेलीफोन अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि एक आदमी सौंधा रोड़ पर संदिग्ध अवस्था में कोई वारदात करने की नियत से घूम रहा है और वारदात करने की फिराक में है एवं अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहा है। उक्त सूचना की तशदीक हेतु रोजनामचा सान्हा क्रमांक 948 पर अंकित कर मय फोर्स प्राइवेट वाहन से रवाना होकर बताये स्थान पर पहुँचा, तो एक आदमी सौंधा रोड़ बम्बा की पुलिया के पास खड़ा दिखा, पुलिस को देखते ही उक्त व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, जिसे हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा। उक्त व्यक्ति की तलाशी ली तो उसकी कमर में तीन कट्टे 315 बोर के मय 315 बोर के दो जिंदा कारतूस मिले। उक्त दो कारतूस कट्टों की बैरल में लगे थे। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण शर्मा पुत्र मुरारीलाल शर्मा, निवासी : आरौली, थाना-उटीला ग्वालियर का होना बताया।

आरोपी से कट्टा एवं राउण्ड रखने का लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् साक्षीगण के समक्ष आरोपी से कट्टा एवं कारतूसों को जब्त कर विधिवत् जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् थाने वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/13 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

04. अभियोजन कथा के शेष तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचक प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह ने आरोपी प्रवीण का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन दिनांक : 01/03/2013 को अंकित किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि वह काशीपुरा मुरार से रामू शर्मा नाम के आदमी के कहने पर सौधा गांव में कट्टो को विक्रय करने के लिए तीन कट्टा लेकर आया था, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, दो कट्टे एवं दस 315 बोर के जिंदा कारतूस उसके काशीपुरा स्थित घर में रखे हैं, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी प्रवीण के काशीपुरा मुरार ग्वालियर स्थित मकान से उसके आधिपत्य की अलमारी से दिनांक : 02/03/2013 को दो 315 बोर के जिंदा कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। विवेचना के दौरान पुलिस अभिरक्षा में दिनांक : 02/03/2013 को विवेचक प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह ने आरोपी प्रवीण का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का एक अन्य ज्ञापन अंकित किया, जिसमें आरोपी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उसने दो राउण्ड जब्त करा दिये, शेष राउण्ड उसके चाचा के लड़के दीपू के घर स्थित ग्राम आलौरी में रखे हैं, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त ज्ञापन के अनुशरण में दिनांक : 03/03/2013 को दीपू पुत्र गोविन्द शर्मा के मकान की तलाशी ली गई। जिसमें कोई राउण्ड 315 बोर बरामद नहीं हुआ। इस वावत् विवेचक द्वारा तलाशी पंचनामा बनाया गया। साक्षी आरक्षक क्रमांक 182 मनोज शुक्ला एवं बंटी के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूसों का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

05. अभियुक्त प्रवीण के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

06. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

07. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी प्रवीण ने दिनांक :- 28/02/2013 को शाम लगभग 06:10 बजे सौंधा रोड़ बम्बा पुलिया के पास सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से तीन कट्टा 315 बोर एवं चार जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय विन्दु क्रमांक - 01

08. अभियोजन साक्षी सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/02/2013 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शाम के समय जरिये टेलीफोन अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि एक आदमी सौंधा रोड़ पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है, वह अपने साथियों के इंतजार में है एवं कोई वारदात की फिराक में है, उसके पास अवैध हथियार है। साक्षी आगे कहता है कि उक्त सूचना पर थाने से मय फोर्स प्राइवेट वाहन से रवाना होकर बताये स्थान पर पहुँचा, तो बम्बा की पुलिया के पास एक आदमी खड़ा दिखा। उसके पास पहुँचने पर उसने भागने का प्रयास किया, जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। मौके पर गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई तो उसकी कमर से 03 कट्टे 315 बोर के मय जिंदा दो राउण्ड 315 बोर के मिले। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण शर्मा पुत्र मुरारीलाल शर्मा, निवासी-आरौली, थाना-उटीला ग्वालियर का होना बताया। आरोपी से कट्टा एवं कारतूसों के संबंध में उससे लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् मौके पर धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत साक्षीगण बंटी एवं मनोज शुक्ला के समक्ष विधिवत् अवैध कट्टा एवं राउण्ड जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी प्रवीण को साक्षीगण के समक्ष विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि थाना वापसी पर आरोपी प्रवीण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/2013 अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी प्रधान आरक्षक 605 वीरेन्द्र सिंह को सुपुर्द कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी प्रवीण शर्मा से घटनास्थल पर जब्त किये गये कट्टे आर्टिकल ए-01, ए-02 एवं ए-03 है तथा कारतूस आर्टिकल ए-04, ए-05, ए-06 एवं ए-07 है। आरोपी जब्तशुदा कट्टे एवं कारतूस वहीं कट्टा एवं कारतूस है, जो प्रकरण में आज प्रस्तुत किये गये है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि किसी वस्तु को किसी आरोपी से जब्त किया जाता है, तो उसे सीलबंद कर उस सील का नमूना जब्ती पत्रक पर अंकित किया जाता है। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने सील नमूना जब्ती पत्रक पर अंकित नहीं किया था। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उस पर सील नमूना अंकित नहीं है। सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर सील नमूना अंकित क्यों नहीं किया गया। सील नमूना जब्ती पत्रक पर अंकित ना किये जाने से जब्तशुदा आयुध के विधिवत् सील बंद किये जाने का तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 का कहना है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 उसके द्वारा प्रधान आरक्षक से लिखवाया गया। साक्षी आगे कहता है कि उसे ध्यान नहीं है कि उक्त गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 उसने किस प्रधान आरक्षक से तैयार करवाया था। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उक्त गिरफ्तारी पत्रक किस प्रधान आरक्षक द्वारा तैयार किया गया था। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर उक्त गिरफ्तारी पत्रक तैयार करने वाले के रूप में एएसआई सुभाष पाण्डेय का नाम अंकित है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। उल्लेखनीय है कि सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं है कि जब्ती एवं गिरफ्तारी की जाते समय वह लिखने में असमर्थ था, क्योंकि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 उसके द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में लेखबद्ध किया गया है। सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ऐसी क्या वजह थी कि उसने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 किसी अन्य प्रधान आरक्षक से लेखबद्ध कराया और यदि उक्त गिरफ्तारी पत्रक किसी अन्य प्रधान आरक्षक द्वारा लेखबद्ध किया गया था, तो गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर उसे लेखबद्ध करने वाले व्यक्ति के रूप में उक्त प्रधान आरक्षक का नाम अंकित क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार दिनांक : 28/02/2013 को आरोपी प्रवीण की गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 लेखबद्ध किया जाना उपरोक्त कारणों से संदेहास्पद प्रतीत होता है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में ही सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पत्रक पर अपराध क्रमांक अंकित है और इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि अपराध क्रमांक तभी अंकित किया जाता है, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 कथित रूप से दिनांक : 28/02/2013 को शाम 06:20 बजे घटनास्थल सौंधा रोड़ बम्बा की पुलिया पर लेखबद्ध किया गया है और हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 गिरफ्तारी के एक घण्टे पश्चात् शाम 07:20 बजे थाना गोहद चौराहा पर लेखबद्ध की गई है। ऐसी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने एवं अपराध पंजीबद्ध किये जाने के एक घण्टे पूर्व घटनास्थल पर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02

पर अपराध क्रमांक 47/2013 किस प्रकार अंकित किया गया, इस वावत् सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। किसी अपराध दर्ज हुये गिरफ्तारी पत्रक पर अपराध क्रमांक अंकित किया जाना तथा गिरफ्तारी पत्रक किसी अज्ञात प्रधान आरक्षक द्वारा लेखबद्ध किया जाना दो ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन कथा को अत्यंत संदेहास्पद बनाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में जब्ती, गिरफ्तारी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्धकर्ता सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में अत्यंत संदेहपूर्ण होना प्रकट होता है।

12. अभियोजन साक्षी मनोज शुक्ला अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/02/2013 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी सुभाष पाण्डेय, दीवान वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य फोर्स के साथ प्राइवेट जीप से सौंधा की पुलिया के पास गया हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि दरोगा जी को मोबाइल से मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सौंधा की पुलिया के पास एक व्यक्ति हथियार लेकर खड़ा है। उक्त व्यक्ति की तलाश हेतु सौंधा की पुलिया के पास गये हुये थे। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को लगभग शाम 05:30 बजे पहुँचे थे, जैसे ही वह लोग गाड़ी से पहुँचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा। दीवान जी एवं उन लोगों ने फोर्स की मदद से उसे पकड़ा एवं एएसआई सुभाष पाण्डेय ने उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर में तीन कट्टे, जिसमें से दो कट्टों में 315 बोर के दो जिंदा राउण्ड लगे हुये थे। दरोगा जी द्वारा आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण शर्मा पुत्र मुरारीलाल शर्मा, निवासी-आरौली, थाना-उटीला का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से दरोगा जी ने कट्टा एवं कारतूसों के संबंध में उससे लाईसेंस मांगा तो उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् दरोगा जी ने मौके पर आरोपी से कट्टा एवं राउण्ड जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् दरोगा जी ने मौके पर आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को थाना वापस लेकर आये थे। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 02/03/2013 को आरोपी प्रवीण शर्मा के निवास स्थान काशीपुरा मुरार, ग्वालियर में आरोपी के घर की तलाशी में 02 जिंदा कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 उसके समक्ष प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र ने बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. उल्लेखनीय है कि साक्षी मनोज अ.सा.01 उसके मुख्य परीक्षण एवं प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में घटना दिनांक : 28/02/2013 के शाम 05:30 बजे की होना बताता है, जबकि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 28/02/2013 के शाम लगभग 06:10 बजे की है। उल्लेखनीय यह भी है कि जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता एएसआई सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में घटनास्थल पर पहुँचने, जब्ती एवं गिरफ्तारी का कोई समय दर्शित नहीं किया है।

14. अभियोजन साक्षी उमेश शर्मा अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 02/03/2013 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी सुभाष पाण्डेय को अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि एक व्यक्ति सौंधा रोड़ पर वारदात करने की नियत से घूम रहा है एवं अपने साथियों का इंतजार कर रहा है, उसके पास अवैध हथियार है। साक्षी आगे कहता है कि उक्त सूचना की तश्दीक हेतु वह, सुभाष पाण्डेय एवं आरक्षक मनोज शुक्ला सहित मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे, तो सौंधा की पुलिया के पास खड़ा हुआ एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे उन लोगों ने घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि दरोगा जी सुभाष पाण्डेय ने तलाशी ली गई तो उसकी कमर से 03 कट्टे 315 बोर के मय जिंदा दो राउण्ड 315 बोर के मिले, दोनों कारतूस कट्टे में लगे हुये थे। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण शर्मा पुत्र मुरारीलाल शर्मा, निवासी-आरौली, थाना-उटीला ग्वालियर का होना बताया। आरोपी से कट्टा एवं कारतूसों के संबंध में उससे लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो उसने ना होना व्यक्त किया। इस संबंध में आरोपी से जब्ती के पश्चात् दिनांक : 28/02/2013 को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मैमों लेने पर अभियुक्त ने बताया था कि उसने अपने घर काशीपुरा मुरार ग्वालियर से रामू शर्मा के कहने से सीधा गांव सौंधा आया था, वह कट्टों का विक्रय करने के लिए आया था, जहाँ पर पुलिस ने तीन कट्टे एवं दो कारतूस पकड़े थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी के घर काशीपुरा से दो राउण्ड अलमारी में रखे बरामद हुये थे एवं दरोगा जी ने वहीं पर जब्ती की थी। दरोगा जी द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम का लिया गया मैमोरेंडम प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दरोगा जी इस संबंध में आरोपी के मकान काशीपुरा मुरार ग्वालियर से उसकी अलमारी से 315 बोर के दो जिंदा कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

15. उल्लेखनीय है कि साक्षी आरक्षक उमेश शर्मा अ.सा.05 एएसआई सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 द्वारा दिनांक : 02/03/2013 को सौंधा रोड़ से तीन कट्टे 315 बोर एवं दो जिंदा कारतूस 315 बोर जब्त किया जाना दर्शित कर रहा है। जबकि अभियोजन कथा, साक्षी मनोज शुक्ला अ.सा.01 एवं एएसआई सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 ने दिनांक : 28/02/2013 को सौंधा रोड़ पुलिया पर आरोपी से आयुध जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। इस प्रकार घटना की दिनांक के संबंध में साक्षी आरक्षक उमेश शर्मा अ.सा.05, साक्षी मनोज शुक्ला अ.सा.01 एवं एएसआई सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

16. मुख्य परीक्षण में उमेश अ.सा.05 आरोपी प्रवीण से दिनांक : 02/03/2013 को कट्टे एवं कारतूसों की जब्ती होना बता रहा है, तत्पश्चात् वह मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 के पंक्ति क्रमांक 12 में आरोपी से जब्ती के पश्चात् दिनांक : 28/02/2013 को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन लेखबद्ध किया जाना बता रहा है। ऐसी दशा में जबकि जब्ती की कार्यवाही दिनांक : 02/03/2013 को की गई हो,

तब धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन उसके पश्चात् दिनांक : 28/02/2013 को किस प्रकार लेखबद्ध किया जा सकता है, यह तथ्य उमेश अ.सा.05 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया गया।

17. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में आरक्षक उमेश अ.सा.05 का कहना है कि दरोगा जी द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन प्र.पी.07 लेखबद्ध किया था और उसके अनुशरण में आरोपी प्रवीण के मकान स्थित काशीपुरा मुरार से उसकी अलमारी से दो 315 बोर के कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में उमेश अ.सा.05 का कहना है कि आरोपी प्रवीण के घर पर कारतूसों की जब्ती करने के लिए दरोगा सुभाष पाण्डेय, आरक्षक मनोज शुक्ला एवं वह स्वयं गया था। इसी पद क्रमांक में साक्षी उमेश अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी से कारतूसों की जब्ती करने के लिए एएसआई सुभाष पाण्डेय नहीं गया था। उल्लेखनीय है कि मैमोरेंडम अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.07 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.03 किन्हीं दरोगा जी अर्थात् सहायक उप निरीक्षक द्वारा तैयार नहीं किया गया है, जबकि प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी दशा में ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.07 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.03 की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है, क्योंकि यदि उक्त कार्यवाही प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा ही की गई होती, तो आरक्षक उमेश अ.सा.05 जो कि स्वयं एक पुलिसकर्मी है, वह उक्त कार्यवाहियों प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा ही की गई होना बताता, ना कि किसी दरोगा जी द्वारा। इस प्रकार उमेश अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य साक्षी मनोज अ.सा.01 एवं सुभाष पाण्डेय अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा अभियोजन कथा से विरोधाभासी होने के कारण संदेहास्पद है।

18. जब्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी बंटी उर्फ रघुराज अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के क्रमशः सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना दर्शित किया है, अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी बंटी अ.सा.03 ने उसके समक्ष आरोपी प्रवीण से कोई कट्टा या जिंदा राउण्ड जब्त किये जाने और आरोपी को गिरफ्तार किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और पुलिस को किसी प्रकार का कोई कथन भी ना देना व्यक्त किया है। इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

19. साक्षी दिनेश कुमार ओझा अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 26/04/2013 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 179, दिनांक 14/03/2013 द्वारा थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 47/2013 से संबंधित केस डायरी एवं सील बंद आयुध आरक्षक क्रमांक 1043 ब्रजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री अलिखेश

श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त प्रवीण शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा निवासी-उटीला, हाल निवासी :- पेट्रोल पम्प के बगल में काशीपुरा मुरार ग्वालियर, के विरुद्ध उसके आधिपत्य में अवैध रूप से तीन 315 बोर के कट्टा एवं चार 315 बोर के जिंदा कारतूस पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त स्वीकृति प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिलादण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने जिलादण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों को पहचानता है। साक्षी दिनेश ओझा अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी दिनेश ओझा अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी प्रवीण शर्मा के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

20. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी प्रवीण शर्मा ने दिनांक :- 28/02/2013 को शाम लगभग 06:10 बजे सौंधा रोड़ बम्बा पुलिया के पास सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से तीन कट्टा 315 बोर एवं चार जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे।

अंतिम निष्कर्ष

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी प्रवीण के विरुद्ध धारा 25(1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी प्रवीण को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B(a)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

22. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

23. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया।

24. प्रकरण में जब्तशुदा तीनों कट्टे एवं 04 जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद